

शाहजहाँपुर पुलिस



प्रेस नोट दिनांक — 26.09.2024

थाना कांट पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मृ0अ0स0-

504/2024 धारा 191(2)/121(1)/132/74/352/351(3) बीएनएस के वांछित अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

श्री राजेश एस0, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब एंव अवैध शस्त्र , मादक पदार्थ का कारोबार करने वाले क्रियाशील एंव चिन्हित किये गये अपराधियों , वाछित एंव वारंटी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एंव अपराध की रोकथाम के परिपेक्ष्य में प्रचलित अभियान के क्रम में श्री संजय कुमार , अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी सदर श्री प्रियांक जैन के पर्यवेक्षण में श्री अश्वनी कुमार , प्रभारी निरीक्षक थाना कांट के नेतृत्व में दिनांक 26.09.2024 को अभियुक्तगण 1. मुनिजर पुत्र मोहनसिंह उम्र करीब 61 वर्ष निवासी ग्राम पिपरौला अहमदपुर थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर , 2. शेरसिंह पुत्र मोहनसिंह उम्र करीब 63 वर्ष निवासी ग्राम पिपरौला अहमदपुर थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर को समय करीब 11.20 बजे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व घटनास्थल -

दिनांक 26.09.2024 समय 11.20 बजे , खुर्रम भट्टे के पास शाहजहाँपुर काँट रोड पर बनी पुलिया वहद ग्राम पिपरौला अहमदपुर

घटना का विवरणः-

1. मुनीजर 2. शेर सिंह एक अन्य व्यक्ति नाम अज्ञात सर्व निवासीगण ग्राम पिपरौला अहमदपुर थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर द्वारा वादिनी को गलत तरीके से छूने,अश्लील हरकतें करने, गाली गलौच कर, जान से मारने की धमकी देने व सरकारी कार्य में बाधा डालने के सम्बन्ध मे अभियोग पंजीकृत किया गया है

विवरण गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

- 1. उ0नि0 श्री कुलदीप कुमार
- 2. प्रशिक्षु उ0नि0 रामू
- 3. हे0का0 320 राजकुमार
- 4. हे0का0 381 संजीव कुमार